स०स०–5 / स्था०–03–07 / 2016–

बिहार सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा मे,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग,
बिहार, पटना।

दिनाकः– / / 2025

विषय :– **श्री दिनेश कुमार सिन्हा, उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति ।**

महाशय,

वित्त विभागीय परिपत्र सख्या–8889 (2) वि0 दिनांक–24 12 1986, पत्रांक–1829 वि0 (2) दिनांक–07.04.2005 एव **प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–159(22) दि0–15.01.2025** के आलोक में **श्री दिनेश कुमार सिन्हा, उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

2 **श्री सिन्हा** की सेवानिवृत्ति की तिथि–30 04.2025 है तथा उपार्जित अवकाश आदेयता निर्गत की तिथि से अद्यतन कोई उपार्जित अवकाश का उपभोग नहीं किया गया है।

3 अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र **अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–5 / स्था०–03–07 / 2016– 550(5) **स्वा0, पटना, दिनांकः–** 11 / 04 **/ 2025**

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / लेखा शाखा / श्री दिनेश कुमार सिन्हा, उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर / प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/04/2025
सरकार के अवर सचिव।